ए.

कपिलाबेन अंबालाल पटेल और ओआरएस. बनाम.

गुजरात राज्य और ए. एन. आर. (2012 की सिविल अपील संख्या 6380) 06 मई, 2020

बी.

[ए**.** एम**.** खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी**,** जे**.** जे**.]**

शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976।6, 9, 10(1), 10(3), 10(5), 10(6), 11, 20(1)(क), 21,33-अपीलकर्ता/भूमि मालिक विचाराधीन भूमि के मूल मालिक के कानूनी प्रतिनिधि हैं-अधिशेष/अतिरिक्त भूमि का कब्जा एक अधिकार पंचनामा dated.20.03 के तहत लिया गया था।1986 – आखिरकार, भूमि मालिकों में से एक के पावर ऑफ अटॉर्नी धारक ने पंचनामा को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की-आंशिक रूप से एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमत-राज्य सरकार द्वारा दायर अपील-इस बीच, अपीलार्थियों ने उसी राहत के लिए 2001 में एक स्वतंत्र रिट याचिका दायर की-राज्य सरकार द्वारा दायर अपील को डिवीजन बेंच द्वारा अनुमति दी गई थी-अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट याचिका को एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी गई थी-डिवीजन बेंच द्वारा अपास्त करना किया गया आदेश-अपील पर कहा गया:अपीलार्थियों ने सभी संभावित दलीलों का सहारा लिया-इसके अलावा, उन्होंने केवल अपने पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के रूप में भूमि मालिकों में से एक के नाम पर रिट याचिका दायर करने का विकल्प चुना, यह महसूस करते हुए कि उनके द्वारा दिया गया अधिकार उनकी मृत्यु के बाद समाप्त हो गया था-यह केवल तब हुआ जब अन्य अपीलार्थियों ने महसूस किया कि एकल न्यायाधीश का निर्णय त्रुटिपूर्ण था और उस हिसाब से राज्य सरकार द्वारा न्यायसंगत रूप से हमला किया गया था, उन्होंने वर्तमान रिट याचिका दायर की-अपीलार्थियों ने पिछली कार्यवाही के बारे में घोषणा की कोई और राहत मांगे बिना कब्जा पंचनामा पर हमला करने के अंतिम प्रयास के बारे में सोचा, जो अंतिम रूप से प्राप्त हो गई थी-14 साल के अंतराल के बाद अपीलार्थियों द्वारा दायर लिखित याचिका में देरी से निराशाजनक रूप से रोक लगा दी गई थी और उन्हें दंड का सामना करना पड़ा था।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा,

1.1 अपीलार्थियों ने सभी संभावित दलीलों का सहारा लिया है।सबसे पहले, शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, **1976** की धारा **20** के तहत छूट के लिए आवेदन दायर किया गया था, जिसे अनुमति दी गई थी

एच.

1117

1118 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 8 एस. सी. आर.

6.3.1980 पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा, लेकिन अपीलार्थियों ने इसे वापस लेने का फैसला किया।उस अनुरोध को अंततः सक्षम प्राधिकारी द्वारा **1.2.1985** पर स्वीकार कर लिया गया।अपीलार्थियों ने तब तक प्रतीक्षा की जब तक कि **1976** के अधिनियम की धारा **10 (3)** के तहत अधिसूचना **25.7.1985** पर जारी नहीं की गई और **22.8.1985** पर आवेदन दायर करके धारा **21** के तहत छूट के उपाय का विकल्प चुना।इसे **15.12.1986** पर खारिज कर दिया गया, जिसके फैसले के खिलाफ समीक्षा आवेदन केवल देवीकाबेन चंदुभाई भाईलालभाई (चंदुभाई भाईलालभाई पटेल की बेटी) द्वारा दायर किया गया था, जो बदले में भाईलालभाई परसोत्तमभाई पटेल के बेटे थे-जो विचाराधीन भूमि के मूल मालिक परसोत्तमभाई पटेल के पांच बेटों में से एक थे।अन्य चार बेटे थे-**(i)** अंबालाल परसोत्तमभाई पटेल, **(ii)** मगनभाई परसोतमभाई पटेल, **(iii)** बाबरभाई परसोतमभाई पटेल, और **(iv)** रमनभाई परसोतमभाई पटेल) अपने तीन भाई-बहनों के साथ, दो साल के अंतराल के बाद। फिर भी, संबंधित प्राधिकारी द्वारा उसी पर विचार किया गया और अपील में पूरे आदेश को रद्द करने के बाद, **19.9.1998** पर रिमांड आदेश पारित किया गया।यहां तक कि समीक्षा कार्यवाही में, राज्य के अधिकारियों द्वारा अधिशेष/अतिरिक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने के तथ्य को दोहराया गया था, जैसा कि दिनांकित आदेश से देखा जा सकता है।यह स्पष्ट नहीं है कि अपीलार्थियों ने कम से कम प्रत्यर्थी द्वारा लिए गए इस तरह के स्पष्ट रुख से संकेत क्यों नहीं लिया और राज्य के कथित रुख (**20.3.1986** पर जबरन कब्जा करने के) पर हमला करने के लिए तुरंत आगे क्यों नहीं बढ़े।कब्जा लेने के अलावा, प्रत्यर्थी ने मुआवजे का निर्धारण किया था जिसके लिए धारा **11** के तहत अपीलार्थियों को **17.5.1986** पर नोटिस जारी किया गया था।यह अपीलार्थियों का मामला नहीं है कि वे **2001** तक उस विकास के बारे में भी अनजान थे।वर्ष **2001** में दायर रिट याचिका में अपीलार्थियों द्वारा ऐसी कोई याचिका नहीं ली गई है।सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांकित **19.5.1999** आदेश के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार करने के बाद ही, उन्होंने **30.3.1999** पर लागू होने वाले निरसन अधिनियम का लाभ उठाते हुए ट्रैक को बदलने के बारे में सोचा।हालाँकि, उन्होंने स्वर्गीय अंबालाल परसोत्तमभाई पटेल के पावर ऑफ अटॉर्नी

धारक के रूप में केवल कमलेशभाई पारेख के नाम पर रिट याचिका दायर करने का फैसला किया, जो एस. सी. ए. नंबर **8402/1999** था, इस बात का बहुत कम एहसास था कि अंबालाल परसोत्तमभाई पटेल द्वारा दिया गया अधिकार उनकी मृत्यु के बाद **31.12.1985** पर ही समाप्त हो गया था।इसमें कोई संदेह नहीं है कि एकल न्यायाधीश को ए के लिए राजी किया गया था

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1119

कपिलाबेन अंबालाल पटेल और ओआरएस. बनाम.गुजरात राज्य और ए. एन. आर.

उस पूरी कार्यवाही को रद्द कर दें जो अधिशेष/अतिरिक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने के साथ समाप्त हुई थी, जिसे कब्ज़ा पंचनामा दिनांक **20.3.1986** द्वारा दूषित और/या समाप्त किया जा रहा था।हालाँकि, अन्य अपीलार्थियों द्वारा यह महसूस करने के बाद ही कि एस. सी. ए. सं. **8402/1999** में एकल न्यायाधीश का निर्णय त्रुटिपूर्ण था और राज्य सरकार द्वारा एल. पी. ए. सं. **460/2002** के माध्यम से उस गिनती पर उचित रूप से हमला किया गया है, उन्होंने वर्तमान रिट याचिका **(**एस. सी. ए. सं. **12602/2001)** दायर करने का फैसला किया।हालाँकि, उक्त रिट याचिका में, इस बात का कोई खुलासा नहीं किया गया है कि इन अपीलार्थियों ने पहले के समय में कब्जा पंचनामा दिनांक **20.3.1986** पर हमला क्यों नहीं किया, जिसमें यह भी शामिल है कि जब इस दस्तावेज़ के अस्तित्व का विशेष रूप से प्रतिवादी-राज्य द्वारा अनुरोध किया गया था, विशेष रूप से, समीक्षा आवेदन में।**[**अनुच्छेद **3,15] [1123-**सी**; 1133-**एफ-एच**; 1134-**ए-एफ**] 1.2** रिट याचिका का पहला भाग तथ्यात्मक पृष्ठभूमि और इस दावे से संबंधित है कि अपीलार्थियों अभी भी कथित भूमि के भौतिक कब्जे में हैं और इसका उपयोग कृषि उद्देश्य के लिए कर रहे थे, जैसा कि राजस्व रिकॉर्ड से देखा जा सकता है।वास्तव में, राजस्व अभिलेख का अनुमानित मूल्य हो सकता है, लेकिन इसका खंडन किया जा सकता है, जो इस मामले में प्रत्यर्थी-राज्य द्वारा कब्जा पंचनामा और बाद की कार्यवाही पर भरोसा करके किया गया है, जिसमें राजस्व अभिलेखों में राज्य सरकार का नाम दर्ज करने के लिए सही अर्थ में मामलातदार, बड़ौदा शहर को प्रस्तुत आवेदन,

दिनांक **11.4.1986,** और जिसके अनुसार प्रविष्टियां क्रमशः **26.9.1989** और **15.2.2000** पर प्रभावित की गई थीं।जाहिर है**,** इसलिए**,** अपीलार्थियों ने अंतिम रूप प्राप्त करने वाली पिछली कार्यवाहियों के संबंध में घोषणा की कोई और राहत मांगे बिना कब्जा पंचनामा पर हमला करने के अंतिम प्रयास के बारे में सोचा।इसलिए खंड पीठ ने यह निष्कर्ष निकालते हुए सही कहा कि **14** साल के अंतराल के बाद अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट याचिका को देरी से निराशाजनक रूप से बाधित किया गया था और इसमें देरी हुई थी। न्यायालय वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों में उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए उक्त दृष्टिकोण से सहमत है।इसके अलावा**,** प्रतिवादी**-**राज्य द्वारा प्रस्तुत स्वीकृति से यह स्पष्ट है कि अंबालाल परसोत्तमभाई पटेल को धारा **10 (5)** के तहत जारी किया गया पहला नोटिस विधिवत **26.12.1985** पर दिया गया था।जब तक **23.1.1986** पर धारा **10 (5)** के तहत दूसरा नोटिस जारी किया गया**,** तब तक अंबालाल परसोत्तमभाई पटेल की मृत्यु हो चुकी थी **(31.12.1985** पर**)**।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1120 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 8 एस. सी. आर.

ए.

दूसरा नोटिस मृतक मगनभाई परसोत्तमभाई पटेल के बेटे भीखाभाई मगनभाई पटेल**,** मृतक भाईलालभाई परसोत्तमभाई पटेल के बेटे नटवरभाई भाईलालभाई पटेल और दिवंगत बाबरभाई परसोत्तमभाई पटेल के बेटे जयंतीभाई बाबरभाई पटेल को भी जारी किया गया था।**[**पैरा **3,15-18] [1135-F-H; 1136-A-E]**

बी.

विनायक काशीनाथ शिल्कर बनाम डिप्टी कलेक्टर और सक्षम प्राधिकारी और अन्य। **(2012) 4** एससीसी **718:[2012] 2** एस**.** सी**.** आर**. 219;** उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हरि राम **(2013)**

4 एससीसी 280:[2013] 2 एस. सी. आर. 301; गजानन कमल्या पाटिल

v. अतिरिक्त कलेक्टर और सक्षम प्राधिकारी (यूएलसी)

सी.

& ओआरएस। (2014) 12 एससीसी 523:[2014] 1 एससीआर 1032;

मंगलसेन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्र। **(2014) 15** एससीसी **332;** मेसर्स अवंती संगठन बनाम सक्षम प्राधिकारी और अतिरिक्त कलेक्टर**,** शहरी भूमि अधिकतम सीमा

एक्ट, राजकोट और अन्र। ए. आई. आर. 1989 गुज 129; समरथबेन

मणिलाल चोकशी और अन्र बनामगुजरात राज्य और अन्र। (1994) 35 (1) जी. एल. आर. 203; सविताबेन रमनभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य और अन्य। (1999) 40 (1) जी. एल. आर. 860; दारोथी क्लेयर परेरा (श्रीमती) & ओआरएस। वी.की स्थिति

डी.

महाराष्ट्र और ओआरएस। (1996) 9 एससीसी 633:[1996] 4

पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 46;** साउथ इंडिया कॉर्पोरेशन **(**पी**)** लिमिटेड बनाम**.**सचिव**,** त्रिवेंद्रम और ए**.** एन**.** आर**.** बोर्ड। ए**.** आई**.** आर **1964** एस**.** सी**. 207:[1964]** एससीआर **280;** विशेष अधिकारी और सक्षम प्राधिकरण**,** शहरी भूमि सीमा**,** हैदराबाद और ए**.** एन**.** आर**.** बनाम**.**

ई.

पी. एस. राव (2000) 2 एससीसी 451:[2000] 1 एससीआर 257;

रमनलाल भाईलाल पटेल और अन्य बनामगुजरात राज्य **(2008)**

5 एससीसी 449:[2008] 2 एससीआर 468; हर प्यारी (श्रीमती)बनाम

एफ.

द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश**,** मुरादाबाद और अन्य। **(2001) 10** एससीसी **525;** असम राज्य बनाम भास्कर ज्योति सरमा और

ओआरएस। (2015) 5 एससीसी 321:[2014] 14 एससीआर 1451; लार्सन

& टुब्रो लिमिटेड बनाम**.**गुजरात राज्य और अन्य। **(1998) 4** एससीसी

387 :[1998] 2 एससीआर 339; गुजरात राज्य और अन्र बनाम

जी.

ज्ञानबा दिलावरसिंह जडेजा **(2013) 11** एस**.** सी**.** सी**. 486;** मधुसूदन भानुप्रसाद पांड्या बनाम गुजरात राज्य

& ओआरएस। (2019) एससीसी ऑनलाइन एससी 1050; बलवंत नारायण

भागड़े बनाम एम**.** डी**.** भागवत और अन्य। **(1976) 1** एससीसी **700;** बालमोकंद खत्री एजुकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रस्ट बनाम

एच.

1121

कपिलाबेन अंबालाल पटेल और ओआरएस. बनाम.गुजरात राज्य और ए. एन. आर.

ए.

पंजाब राज्य (1996) 4 एस. सी. सी. 212; एल. आर. एस. द्वारा तमिलनाडु आवास बोर्ड बनाम ए. विश्वम (मृत)। (1996) 8 एस. सी. सी 259 -

संदर्भित किया गया।

संदर्भित निर्णय

[2012] 2 एससीआर **219**

पैरा **10** को संदर्भित किया गया

बी.

[2013] 2 एससीआर **301**

पैरा **10** को संदर्भित किया गया

[2014] 1 एससीआर **1032**

पैरा **10** को संदर्भित किया गया

(2014) 15 एस**.** सी**.** सी**. 332**

पैरा **10 [1996] 4** का उल्लेख किया गया है।एस**.** सी**.** आर**. 46** पैरा **10 [1964]** एस**.** सी**.** आर**. 280** को संदर्भित करता है।

सी.

पैरा **10** को संदर्भित पैरा **10**

[2000] 1 एससीआर **257**

[2008] 2 एससीआर **468**

पैरा **10** को संदर्भित किया गया

(2001) 10 एस**.** सी**.** सी**. 525**

पैरा **10 [2014] 14** एस**.** सी**.** आर**. 1451** पैरा **12 [1998] 2** एस**.** सी**.** आर**. 339** को संदर्भित

डी.

पैरा **12** को संदर्भित किया गया

(2013) 11 एससीसी **486**

पैरा **12** को संदर्भित किया गया

ई.

(1976) 1 एससीसी **700**

पैरा **19** को संदर्भित किया गया है

(1996) 4 एससीसी **212**

पैरा **19** को संदर्भित किया गया है

(1996) 8 एससीसी **259**

पैरा **19** को संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2012 की सिविल अपील सं. 6380।

एफ.

2006 के पत्र पेटेंट अपील संख्या 233 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांकित 26.04.2011 के निर्णय और आदेश से।श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता, संतोष कृष्णन (गौरव अग्रवाल के लिए), अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।

जी.

सुश्री दीपानविता प्रियंका (अनिरुद्ध पी. मयी के लिए), सुश्री हेमंतिका वाही, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

एच.

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे.

1. यह अपील लेटर पेटेंट अपील (एल. पी. ए.) संख्या 233/2006 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित 26.4.2011 के फैसले और आदेश पर आपत्ति उठाती है, जिसके तहत, अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट याचिका विशेष नागरिक आवेदन संख्या 12602/2001 है, जिसे उक्त रिट याचिका में उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 21.12.2005 के फैसले और आदेश को दरकिनार करते हुए खारिज कर दिया गया।उक्त रिट याचिका द्वारा, अपीलार्थियों ने निम्नलिखित राहत मांगी थीः-

बी.

सी.

"8. याचिकाकर्ताओं का अनुरोध है कि यह माननीय न्यायालय परमादेश या परमादेश की प्रकृति में एक रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट, निर्देश और/या आदेश जारी करके प्रसन्न होः(क) यह घोषणा करना कि अनुच्छेद 1 (अनुलग्नक घ) दिनांकित पंचनामा और उत्तरदाताओं द्वारा पैरा (ग) में उल्लिखित भूमि पर कथित रूप से रचनात्मक या वास्तविक कब्जा करने की कथित कार्रवाई कानून के विपरीत है और इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है।

डी.

(ख) प्रत्यर्थियों को याचिकाकर्ताओं की 12,385 वर्ग किलोमीटर की भूमि को परेशान करने या उस पर कब्जा करने से स्थायी रूप से रोकना।एमटीएस।या पंचनामा दिनांक 20.03.1986 (अनुलग्नक D) में उल्लिखित इसका कोई भी भाग।

ई.

(ग) प्रत्यर्थियों को आदेश देना कि वे याचिकाकर्ताओं को उक्त भूमि के कब्जे को वापस कर दें, यदि वे वास्तविक रूप से कब्जे में हैं या उसके अधीन हैं।

((घ) सक्षम प्राधिकारी के दिनांकित 01.02.85 आदेश के अनुसार उक्त भूमि के संबंध में कोई भी कार्यवाही करने से प्रत्यर्थियों को रोकना।

एफ.

(ई) इस याचिका की सुनवाई और अंतिम निपटान तक प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं और अन्य संयुक्त धारकों के संयुक्त कब्जे वाली उक्त भूमि के कब्जे में किसी भी तरह से बाधा डालने या हस्तक्षेप करने से रोकना।

जी.

(च) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में ऐसी अन्य और आगे की राहत प्रदान करना जो यह माननीय न्यायालय उचित और उचित समझता है।

1 संक्षेप में**,** "उच्च न्यायालय"

एच.

1123

कपिलाबेन अंबालाल पटेल और ओआरएस. बनाम.गुजरात राज्य और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

ए.

(जी) इस याचिका के खर्च का प्रावधान करना।"

2. जिस पृष्ठभूमि में रिट याचिका दायर की गई थी, उसे बताया जा सकता है।

इस प्रकार।

3. अपीलार्थियों दावा करते हैं कि वे विचाराधीन भूमि के मूल मालिक, अर्थात् परसोत्तमभाई पटेल के कानूनी प्रतिनिधि हैं, जिनकी मृत्यु गुजरात राज्य में शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 2 के प्रारंभ से पहले अर्थात् 17 फरवरी, 1976 से हुई थी। उनके पाँच बेटे थे, (i) अंबालाल परसोत्तमभाई पटेल, (ii) मगनभाई परसोत्तमभाई पटेल, (iii) बाबरभाई परसोत्तमभाई पटेल, (iv) भाईलालभाई परसोत्तमभाई पटेल और (v) रमनभाई परसोत्तमभाई पटेल।उक्त परसोत्तमभाई पटेल के परिवार ने 1976 के अधिनियम की धारा 6 के तहत (i) अंबालाल परसोत्तमभाई पटेल, (ii) मृतक मगनभाई परसोत्तमभाई पटेल के पुत्र भीखाभाई मगनभाई पटेल, (iii) दिवंगत बाबरभाई परसोत्तमभाई पटेल के पुत्र जयंतीभाई बाबरभाई पटेल और जेठाभाई बाबरभाई पटेल, (iv) मृतक भाईलालभाई परसोत्तमभाई पटेल के पुत्र नटवरभाई भाईलालभाई पटेल और (v) रमनभाई परसोत्तमभाई पटेल के नाम पर सर्वेक्षण संख्या 362,378,59 वाले 30385.10 वर्ग मीटर भूमि के मालिकों के रूप में बयान दायर किए।बयानों से पता चला कि अन्य व्यक्तियों की भी उक्त भूमि में रुचि थी।बाद में, 1976 के अधिनियम की धारा 20 (1) (ए) के तहत छूट के लिए पांच भाइयों की ओर से एक आवेदन दायर किया गया। यह उप-कलेक्टर और अवर सचिव, राजस्व विभाग, गुजरात सरकार द्वारा दिनांकित 6.3.1980/29.11.1980 आदेश के माध्यम से प्रदान किया गया था। 8.6.1981 पर, मसौदा बयानों के जवाब में, पावर ऑफ अटॉर्नी धारक-रमनभाई परसोत्तमभाई पटेल के माध्यम से अंबालाल परसोत्तमभाई पटेल के नाम पर आपत्तियां दायर की गईं।भूमि मालिकों द्वारा कृषि छूट को रद्द करने के अनुरोध के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी और अतिरिक्त कलेक्टर (यूएलसी), वडोदरा के कार्यालय द्वारा 7.11.1983 पर एक आदेश पारित किया गया था।भूमि मालिकों द्वारा प्रस्तुत बयानों के अनुसार और मसौदा बयान पर आपत्तियों पर विचार करते हुए, सक्षम प्राधिकारी ने 1976 के अधिनियम की धारा 9 के तहत अंतिम बयान जारी किया, जिसमें 12 व्यक्तियों को 12385 वर्ग मीटर की अधिशेष/अतिरिक्त भूमि के धारक के

रूप में घोषित किया गया, जिनके विवरण दिनांक 1 के आदेश में निम्नलिखित रूप में नोट किए गए हैं:-

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

2 संक्षेप में**, "1976** का अधिनियम"

एच.

"अधिशेष भूमि का विवरण।

==========

गाँव	एस. नं.	अंतिम प्लॉट नं.	विस्तार	क्षेत्र
मांजा एलपुर	362	280 पाइकी	2672.3	आवासीय
"	378	287	3035	"
"	592	108	2747	"
"	593/1	115	1546	"
"	593/2	116	2385	"
			12385.3	

बी.

सी.

12385 वर्ग मीटर "

डी.

भूमि मालिकों को विधिवत सूचित किया गया था कि अंतिम विवरण में निर्दिष्ट अधिशेष/अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण सरकार द्वारा आवश्यकता पड़ने पर किया जाएगा और तब तक धारक उसके कब्जे में बने रह सकते हैं।इसके बाद, 1976 के अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत अधिशेष/अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव करते हुए एक अधिसूचना जारी की गई।उक्त अधिसूचना में केवल चार (4) नाम अंबालाल परसोत्तमभाई पटेल, भीखाभाई मगनभाई पटेल, नटवरभाई भाईलालभाई पटेल और जयंतीभाई बाबरभाई पटेल शामिल थे और आठ (8) अन्य संयुक्त मालिकों के नाम शामिल नहीं थे, जैसा कि दिनांकित 1.2.1985 के आदेश में संदर्भित किया गया है, जो मूल मालिक के कानूनी प्रतिनिधि और मृतक परसोत्तमभाई पटेल के परिवार के सदस्य भी थे।1976 के अधिनियम की धारा 10 (3) के तहत एक अनुवर्ती अधिसूचना (दिनांक 31.5.1985) राजपत्र में 25.7.1985 पर प्रकाशित की गई थी।1976 के अधिनियम की धारा 10 (3) के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद ही, जिसके तहत अधिशेष/अतिरिक्त भूमि राज्य सरकार में निहित हो गई, 1976 के अधिनियम की धारा 21 के तहत छूट के लिए एक आवेदन अंबालाल परसोत्तमभाई पटेल और त्रिभुवनदास छोटाभाई पटेल द्वारा 22.8.1985 पर दायर किया गया था।जबकि धारा 21 के तहत उक्त आवेदन विचाराधीन था, 1976 के अधिनियम की धारा 10 (5) के तहत अधिसूचना 17.12.1985 पर खाली भूमि का कब्जा सौंपने के लिए जारी की गई।अनुलग्नक ए-11 में दिखाए गए समर्थन के अनुसार अंबालाल परसोत्तमभाई पटेल को 26.12.1985 पर और जयंतीभाई बाबरभाई पटेल को उसी तारीख को ए

ई.

एफ.

जी.

एच.

1125

कपिलाबेन अंबालाल पटेल और ओआरएस. बनाम.गुजरात राज्य और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

अनुलग्नक ए-12 में प्रति समर्थन।1976 के अधिनियम की धारा 10 (5) के तहत अधिसूचना/नोटिस की सेवा के बाद, अंबालाल परसोत्तमभाई पटेल का निधन हो गया।इसके बावजूद, 1976 के अधिनियम की धारा 10 (5) के तहत अंबालाल परसोत्तमभाई पटेल, भीखाभाई मगनभाई पटेल, नटवरभाई भाईलालभाई पटेल और जयंतीभाई बाबरभाई पटेल के

नामों का उल्लेख करते हुए एक और नोटिस जारी किया गया।उक्त नोटिस में, यह उल्लेख किया गया था कि कब्जा सौंपने की तारीख 1.2.1986 पर 11.00 बजे तय की गई थी।और पतियों को कब्जा सौंपने के लिए स्थल पर उपस्थित रहने के लिए कहा गया।अपीलार्थियों के अनुसार, यह नोटिस केवल अंबालाल परसोत्तमभाई पटेल को जारी किया गया था और अन्य भूमि मालिकों को नहीं।हालाँकि, प्रत्यर्थी-राज्य ने अपीलार्थियों के इस तथ्यात्मक विवरण का विरोध किया है और अनुलग्नक आर-2 में लिखित प्रस्तुतियों के साथ प्रस्तुत पावती पर भरोसा किया है।हालाँकि, प्रतिवादी-राज्य द्वारा यह विवादित नहीं है कि अंबालाल परसोत्तमभाई पटेल को भेजा गया नोटिस 2.2.1986 पर "कहा गया है कि मालिक की अवधि समाप्त हो गई है" के समर्थन के साथ वापस कर दिया गया था।दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा हस्ताक्षरित एक पंचनामा दिनांक 20.3.1986 के तहत अधिशेष/अतिरिक्त भूमि का कब्जा ले लिया गया था। 11.4.1986 पर, बड़ौदा शहर के मामलातदार से उक्त भूमि से संबंधित राजस्व अभिलेख में राज्य सरकार का नाम दर्ज करने का अनुरोध किया गया था।इसके बाद, 1976 के अधिनियम की धारा 11 के तहत मृतक अंबालाल परसोत्तमभाई पटेल के उत्तराधिकारी भीखाभाई मगनभाई पटेल को मुआवजे की राशि के निर्धारण के लिए आई. डी. 2 पर उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया था।सक्षम प्राधिकारी ने 6.8.1986 पर मुआवजे की राशि निर्धारित की। 1976 के अधिनियम की धारा 21 के तहत भूमि मालिकों द्वारा दायर आवेदन को 15.12.1986 पर खारिज कर दिया गया।

बी.

सी.

डी.

ई.

4. उपरोक्त निर्णय को भूमि मालिकों ने अपने पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों रमनभाई परसोत्तमभाई पटेल और त्रिभुवनदास छोटाभाई पटेल के माध्यम से 1976 के अधिनियम की धारा 33 के तहत अपील के माध्यम से चुनौती दी थी। इस अपील में, सक्षम प्राधिकारी ने 4.4.1988 पर जवाब दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि धारा 21 के तहत आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं था, क्योंकि 1976 के अधिनियम की धारा 10 (3) के तहत अधिसूचना के परिणामस्वरूप भूमि पहले से ही राज्य सरकार में निहित थी। उपरोक्त अपील को 28.8.1995 पर अपीलीय प्राधिकरण द्वारा खारिज कर दिया गया था।हालाँकि, देविकाबेन चंदुभाई भैलालभाई (चंदुभाई भैलालभाई पटेल की बेटी, जो बदले में भैलालभाई परसोत्तमभाई पटेल के बेटे थे) ने अपने तीन भाई-बहनों के साथ दो साल से अधिक समय के अंतराल के बाद यानी 29.4.1998 पर अपीलीय प्राधिकरण द्वारा दिनांकित 28.8.1995 द्वारा पारित आदेश के खिलाफ समीक्षा आवेदन दायर किया।वह समीक्षा आवेदन था

एफ.

जी.

एच.

1126

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 8 एस सी आर।

आई. डी. 1 पर अनुमति दी गई और कार्यवाही को योग्यता के आधार पर नए सिरे से विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को भेज दिया गया।

5. प्रतिप्रेषित कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान (धारा 21 के तहत आवेदन से उत्पन्न), निरसन अधिनियम, अर्थात् शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999-3 30.3.1999 से लागू हुआ।इसके बाद भूमि मालिकों ने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष इस आशय का अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए दिनांक 30.4.1999 का आवेदन दायर किया कि शहरी भूमि न्यायाधिकरण/पदेन अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, गुजरात द्वारा पारित दिनांक 19.9.1998 के आदेश के अनुसार, पहले के सभी आदेशों या अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया गया और अपास्त करना दिया गया और भूमि अब किसी भी तरह से सरकार में निहित नहीं है।उक्त आवेदन के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से कहा कि भूमि मालिकों को ऐसा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि भूमि को पहले ही अधिशेष घोषित किया जा चुका है और 1976 के अधिनियम की धारा 10 (1), 10 (3), 10 (5) और 10 (6) के तहत कदम उठाए गए हैं, जो अंतिम रूप ले चुके हैं।

बी.

सी.

डी.

6. इस निर्णय के बाद, अंबालाल परसोत्तमभाई पटेल के पावर ऑफ अटॉर्नी धारक कमलेशभाई पारेख को विशेष सिविल आवेदन (एस. सी. ए.) संख्या 8402/1999 के रूप में रिट याचिका दायर करने की सलाह दी गई, जिसमें दिनांक 20.3.1986 के अधिकार पंचनामा को चुनौती दी गई थी।विद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्णय और दिनांक 5.12.2000 के आदेश के माध्यम से उक्त रिट याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी।उस निर्णय से व्यथित महसूस करते हुए, राज्य सरकार ने एल. पी. ए. सं. 460/2002 के माध्यम से उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष इस आधार पर अपील की कि कमलेशभाई पारेख को 31.12.1985 पर अंबालाल परसोत्तमभाई पटेल की मृत्यु के कारण रिट याचिका दायर करने का कोई अधिकार या अधिकार नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी याचिका दायर करने का अधिकार समाप्त हो गया था।जब उक्त अपील लंबित थी, तो इसमें अपीलार्थियों को सलाह दी गई थी कि वे उसी राहत (ओं) के

लिए एक स्वतंत्र रिट याचिका दायर करें, जो एस. सी. ए. संख्या 12602/2001 है।इस रिट याचिका में राहत को उपरोक्त पैराग्राफ 1 में पुनः प्रस्तुत किया गया है।

ई.

एफ.

7. अंत में, राज्य सरकार द्वारा दायर अपील एल. पी. ए. सं. <आई. डी. 2. को उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा <आई. डी. 1. पर मृत अंबालाल परसोत्तमभाई पटेल के पावर ऑफ अटॉर्नी धारक द्वारा रिट याचिका की स्थिरता के संबंध में आपत्ति को स्वीकार करते हुए अनुमति दी गई। हालांकि, अन्य सभी प्रश्नों को खुला छोड़ दिया गया था।

जी.

3 संक्षेप में, "निरसन अधिनियम"

एच.

1127

कपिलाबेन अंबालाल पटेल और ओआरएस. बनाम.गुजरात राज्य और एएनआर। [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

ए.

8. चाहे जो भी हो, अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट याचिका जिसमें एस. सी. ए. सं. 12602/2001 है, उसे उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निर्णय और दिनांक 21.12.2005 के आदेश द्वारा उसमें उल्लिखित कारणों के लिए अनुमति दी गई थी।उस निर्णय पर राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष एल. पी. ए. सं. 233/2006 के माध्यम से हमला किया गया था, जिसे विवादित निर्णय और दिनांक 26.4.2011 के आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी।

बी.

9. डिवीजन बेंच ने पहले यह निर्णय दिया कि 1976 के अधिनियम की धारा 21 के तहत भूमि मालिकों द्वारा दायर आवेदन को 1976 के अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से 1139 दिनों के बाद दायर किए जाने की सीमा द्वारा वर्जित किया गया था। यह 3.4.1979 के समक्ष दायर किया जाना चाहिए था, जबकि, यह 22.8.1985 पर दायर किया गया था और इस तरह के विलंबित आवेदन पर विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को कोई शक्ति नहीं दी गई थी।यह कहने के बाद, यह माना गया कि सभी भूमि मालिकों ने सक्षम प्राधिकारी के फैसले को चुनौती नहीं दी थी।हालाँकि, धारा 33 के तहत अपील केवल अंबालाल परसोत्तमभाई पटेल के पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों रमनभाई परसोत्तमभाई पटेल और त्रिभुवनदास छोटाभाई पटेल द्वारा की गई थी।किसी अन्य अपीलार्थी ने उक्त अपील को प्राथमिकता नहीं दी थी और इस प्रकार

उन्होंने अंतिमता प्राप्त करने के लिए धारा 21 के तहत आवेदन को अस्वीकार करने वाले दिनांकित 15.12.1986 आदेश की अनुमति दी।डिवीजन बेंच ने तब इन अपीलार्थियों द्वारा विषय रिट याचिका दायर करने में देरी के संबंध में राज्य द्वारा की गई आपत्ति पर विचार करने के लिए आगे बढ़े, जिसमें 2001 में 14 साल के अंतराल के बाद अधिकार पंचनामा दिनांक 1 पर सवाल उठाया गया था।इस आपत्ति पर विचार करते हुए, खंड पीठ ने इस प्रकार टिप्पणी की:-

"41. अपीलकर्ता-राज्य ने विशिष्ट याचिका दायर की है कि कब्जा करने के आदेश को कभी भी अपीलीय प्राधिकरण या समीक्षा प्राधिकरण के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी।इसे केवल एक लंबी देरी के बाद रिट याचिका में चुनौती दी गई थी।यद्यपि उपरोक्त स्थिति

सी.

डी.

ई.

एफ.

विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष ले जाया गया, इस पर ठीक से चर्चा नहीं की गई।

42. अपीलकर्ता-राज्य ने विशिष्ट याचिका दायर की है कि कब्जा करने के आदेश को कभी भी अपीलीय प्राधिकरण या समीक्षा प्राधिकरण के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी।इसे केवल लंबे विलंब के बाद रिट याचिका में चुनौती दी गई थी।यद्यपि उपरोक्त रुख अपनाया गया था, लेकिन विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा ठीक से चर्चा नहीं की गई थी।

जी.

43. शिवगोंडा अन्ना पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 2281 में उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई करते हुए रिपोर्ट दी।

एच.

सेक. अधिनियम के 10 ने अभिनिर्धारित किया कि कार्यवाही को फिर से खोलने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका इस आधार पर दायर की गई थी कि सक्षम प्राधिकारी ने दस साल बाद दायर किए गए कुछ तथ्यों को ध्यान में नहीं रखा था, जब अतिरिक्त भूमि राज्य सरकार में निहित थी, जिसे उच्च न्यायालय ने सही ढंग से खारिज कर दिया था।44. अनुच्छेद 226 के तहत याचिका को प्राथमिकता देने में देरी और अड़चनों के सवाल का फैसला करते

हुए, सुप्रीम कोर्ट ने नगर परिषद, अहमदनगर न्यायालय शाह हैदर बेग के मामले में जे. टी. 1999 (10) एस. सी. 336 में रिपोर्ट किया कि न्यायसंगत सिद्धांत, अर्थात् 'विलंब दोष समानता' का संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राहत देने के मामले में पूरा उपयोग है। विवेकाधीन राहत दी जा सकती है बशर्ते कि किसी को अपने कार्य या आचरण से अपने अधिकारों को मंजूरी न दी गई हो।समानता एक सुस्त वादी के बजाय एक सतर्क व्यक्ति का पक्ष लेती है और यह कानून का मूल सिद्धांत है।

बी.

सी.

45. वर्तमान मामले में**,** हमने देखा है कि भूमि का कब्जा **20** मार्च **1986** को लिया गया था।आवेदन यू/सेक को अस्वीकार करने का आदेश। रमनभाई पुरुषोत्तमभाई पटेल को छोड़कर सभी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ **15** दिसंबर **1986** को **21** अंतिम रूप ले लिया गया। याचिकाकर्ताओं के अपने अधिकारों के प्रयोग में सतर्क नहीं होने के खिलाफ रिट याचिका विद्वान की गई थी**,** एकल न्यायाधीश को इतनी लंबी देरी के बाद अधिकार लेने के आदेश के खिलाफ याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था।**”**

डी.

ई.

(जोर दिया गया) खंड पीठ ने तदनुसार राज्य द्वारा की गई अपील को स्वीकार कर लिया और विद्वत एकल न्यायाधीश के निर्णय और आदेश को दरकिनार करते हुए अपीलार्थियों द्वारा विद्वान रिट याचिका को खारिज कर दिया और घोषणा की कि भूमि का कब्जा राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा 20.3.1986 पर उचित रूप से ले लिया गया है।

एफ.

10. पीड़ित महसूस करते हुए भूमि मालिकों ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।यह आग्रह किया जाता है कि प्रतिवादी-राज्य द्वारा इस तथ्य की पुष्टि करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है कि विचाराधीन भूमि का भौतिक कब्जा 20.3.1986 पर ले लिया गया है।यह केवल कब्ज़ा पंचनामा के रूप में एक कागजी कब्ज़ा था।अपीलार्थियों के अनुसार, निरसन अधिनियम की तारीख को विषय भूमि का वास्तविक कब्जा महत्वपूर्ण है और ए के सभी कार्यों को कम करने में निहित है।

जी.

एच.

कपिलाबेन अंबालाल पटेल और ओआरएस. बनाम.गुजरात राज्य और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

1976 के अधिनियम के तहत राज्य प्राधिकरण। राज्य में भूमि के अधिनिर्णय के संबंध में 1976 के अधिनियम की धारा 10 (3) के तहत केवल अधिसूचना जारी करना निरसन अधिनियम के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त नहीं है। रिलायंस ने

विनायक काशीनाथ शिल्कर बनाम डिप्टी कलेक्टर और सक्षम प्राधिकारी और अन्य को नियुक्त किया गया। **4,** उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हरि राम **5,** गजानन कमल्या पाटिल बनाम अतिरिक्त कलेक्टर और सक्षम प्राधिकारी **(**यू**.** एल**.** सी**.)** और अन्य। **6** और मंगलसेन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

बी.

& एन. आर. 7.इस न्यायालय का सुसंगत दृष्टिकोण यह है कि राज्य प्राधिकरणों द्वारा भौतिक कब्जा लिया जाना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर निरसन अधिनियम के कारण कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। अपीलार्थियों ने यह दिखाने के लिए राजस्व अभिलेखों पर भरोसा किया है कि 20.3.1986 पर कब्जा पंचनामा किए जाने के बाद भी अपीलार्थियों/भूमि मालिकों के पास निरंतर कब्जा बना हुआ है।राजस्व प्रविष्टियों का अनुमानित मूल्य है और प्रत्यर्थी राज्य इसका खंडन करने में विफल रहा है।यह आगे तर्क दिया जाता है कि कथित कब्ज़ा पंचनामा दिनांकित 20.3.1986 बिल्कुल भी विश्वसनीय दस्तावेज़ नहीं है।यह अस्पष्ट है और विवरण से रहित है। इसकी प्रामाणिकता और विषय-वस्तु पर अपीलार्थियों द्वारा विवाद किया गया है।यह दिलचस्प है कि हालांकि विषय भूमि फैली हुई है और भूमि का एक भी निरंतर टुकड़ा नहीं है, फिर भी एक सामान्य कब्जा पंचनामा बिना किसी स्पष्टीकरण के तैयार किया गया है कि किस तरह से पांच गैर-सन्निहित भूखंडों का कब्जा संबंधित अधिकारियों द्वारा लिया गया था।इसके अलावा, पंचनामा में कोई समय नहीं होता है।इन सभी कमियों से केवल यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिकार पंचनामा अपने कार्यालय में बैठे अधिकारियों द्वारा स्थल का दौरा किए बिना तैयार किया गया था।दूसरा, कब्ज़ा पंचनामा पर बारह (12) भूमि मालिकों में से किसी ने भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं।अपीलार्थियों विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों पर भी भरोसा कर रहे हैं, जिसमें कब्जे के तथ्य को अपीलार्थियों के पक्ष में दर्ज विद्वान गया है ताकि यह माना जा सके कि कब्जा पंचनामा अवैध था।इसके बाद यह आग्रह किया जाता है कि जब तक 1976 के अधिनियम की धारा 21 के तहत आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक अधिकारी कब्जा पंचनामा दर्ज नहीं कर सकते थे।मान लीजिए, उक्त आवेदन 22.8.1985 पर दाखिल किया गया था और 20.3.1986 पर लंबित था।यह कानून में अस्वीकार्य है और उस हिसाब से भी कार्रवाई को दूषित किया जाता है।इस स्थिति को मजबूत करने के लिए, उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के कथन पर निर्भरता रखी गई है

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

मेसर्स अवंती संगठन बनाम। सक्षम प्राधिकारी और अतिरिक्त

4 (2012) 4 एससीसी 718 (पैराग्राफ 9 से 11) 5 (2013) 4 एससीसी 280 (पैराग्राफ 36-37)

6 (2014) 12 एस. सी. सी. 523 (पैरा 10 और 12) 7 (2014) 15 एस. सी. सी. 332 (पैरा 10 से 14)

एच.

कलेक्टर**,** अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट**,** राजकोट और अन्र। **8** और सम्राटबेन मणिलाल चोकशी और अन्र बनाम।गुजरात राज्य और अन्र। **9** और सविता बेन रमनभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य और अन्य। **10.**

दारोथी क्लेयर में इस न्यायालय के फैसले पर भी रिलायंस को रखा गया है।

परेरा **(**श्रीमती**)** और ओआरएस बनाममहाराष्ट्र राज्य और अन्य। **11.**रिलायंस को साउथ इंडिया कॉर्पोरेशन **(**पी**)** लिमिटेड बनाम साउथ इंडिया कॉर्पोरेशन **(**पी**)** लिमिटेड पर भी रखा गया है।सचिव**,**

बी.

बोर्ड ऑफ त्रिवेंद्रम एंड ए**.** एन**.** आर**. 12,** जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा **10** और **21,** दोनों अधिनियम के अध्याय **3** के अंतर्गत आते हैं**,** और इस प्रकार**,** धारा **21** "धारा **10** के बावजूद" संचालित होती है।रिलायंस को विशेष अधिकारी और

सक्षम प्राधिकारी**,** शहरी भूमि सीमा**,** हैदराबाद और ए**.** एन**.** आर**.** बनाम

पी. एस. राव 13, जिसमें यह कहा गया है कि जब तक अतिरिक्त भूमि की मात्रा निर्धारित नहीं की जाती है, तब तक भूमि मालिक से अतिरिक्त भूमि को सौंपने या 1976 के अधिनियम की धारा 20 या 21 या 22 के तहत छूट लेने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, धारा 21 के तहत आवेदन दायर करने की अवधि 1976 के अधिनियम की धारा 20 के तहत छूट वापस लेने की तारीख से मानी जानी चाहिए, न कि अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से।यह आग्रह किया जाता है कि 1976 के अधिनियम की धारा 10 के तहत कार्रवाई के संबंध में सभी भूमि मालिकों को नोटिस नहीं दिया गया था। इसलिए, कब्जा पंचनामा का कोई फायदा नहीं होगा और यह अमान्य और अवैध है।हरिराम (ऊपर) में इस न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि धारा

10 (5) और/या 10 (6) के तहत नोटिस देने की आवश्यकता अनिवार्य है और ऐसा करने में विफलता के लिए भूमि मालिक को बिना नोटिस के बेदखल किया जाना आवश्यक होगा, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।यह आग्रह किया जाता है कि चार (4) नोटिसियों के संबंधित शेयर इस प्रकार हैंः-

सी.

डी.

ई.

एस. नहीं।	व्यक्तिगत	कुल स्वामित्व वाली भूमि (वर्ग मीटर)	यू. एल. सी. अधिनियम (वर्ग मीटर) के तहत अनुमति प्राप्त भूमि	अतिरिक्त भूमि (वर्ग मीटर)
1	अंबाला एल.	7329.5	1500	5829.5
2	भीखाभा आई	2613.5	1500	1113.5
3	नटवरभाई	1546.4	1500	46.4
4	जयंतीभा आई	1758.3	1500	258.3

एफ.

जी.

8 ए. आई. आर. 1989 गुज 129

9 (1994) 35(1) जीएलआर 203 10 (1999) 40 (1) जीएलआर 860

11 (1996) 9 एस. सी. सी. 633 (पैरा 5 और 6) 12 ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 207 (पैरा 19) 13 (2000) 2 एस. सी. सी. 451 (पैरा 4)

एच.

1131

कपिलाबेन अंबालाल पटेल और ओआरएस. बनाम.गुजरात राज्य और एएनआर। [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

ए.

हालांकि सक्षम प्राधिकारी ने बारह (12) भूमि मालिकों को मान्यता दी, लेकिन उसने केवल चयनित चार (4) भूमि मालिकों को नोटिस जारी करने का फैसला किया।उन्हें दिया गया नोटिस अन्य भूमि मालिकों को बाध्य नहीं कर सकता है।नोटिस के अभाव में, ऐसे भूमि मालिकों को

भूमि सौंपने के संबंध में याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।रमनलाल भाईलाल पटेल और

ओआरएस बनाम।गुजरात राज्य **14** और हर प्यारी **(**श्रीमती**)** बनाम द्वितीय अतिरिक्त

बी.

न्यायाधीश, मुरादाबाद और अन्य। 15.जहाँ तक अंबालाल परसोत्तमभाई पटेल का संबंध है, उनकी मृत्यु 31.12.1985 पर हुई थी।नतीजतन, अंबालाल परसोत्तमभाई पटेल को जारी किया गया नोटिस उनके कानूनी प्रतिनिधियों को नहीं दिया गया।इसके अलावा, अंबालाल परसोत्तमभाई पटेल का हिस्सा कुल अधिशेष/अतिरिक्त भूमि का 5829.50 वर्ग मीटर है, जिसे बाहर रखा जाना चाहिए और निरसन अधिनियम के मद्देनजर उस संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। वास्तव में, शिकायत यह है कि खंड पीठ को विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, जो वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए एक सुविचारित निर्णय और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण था।

सी.

11. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी राज्य यह आग्रह करेगा कि अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट याचिका में निराशाजनक रूप से देरी हुई थी और इसमें देरी हुई थी।सूट भूमि का कब्जा दिनांक 20.3.1986 के कब्जे पंचनामा के तहत लिया गया था।यह तथ्य अपीलार्थियों की जानकारी में था जैसा कि अभिलेख से और विशेष रूप से प्रत्यर्थी -राज्य द्वारा 1976 के अधिनियम की धारा 21 के तहत आवेदन के संबंध में समीक्षा आवेदन का विरोध करने के लिए उठाए गए रुख से स्पष्ट है। उक्त कार्यवाही में प्रत्यर्थी द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अपीलार्थी किसी भी राहत के हकदार नहीं थे क्योंकि कब्जा पहले ही 20.3.1986 पर ले लिया गया है और विषय भूमि पहले से ही राज्य में निहित थी।इस प्रकार, यह इस बात की जानकारी में था कि अपीलार्थियों उक्त कार्यवाही में पक्षकार थे।सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनर्विचार के लिए आवेदन (धारा 21 के तहत) को रिमांड करते हुए उस तथ्य को समीक्षा आवेदन में दिनांकित 19.9.1998 आदेश में दर्ज किया गया है।हालाँकि, वर्तमान रिट याचिका केवल 2001 में दायर की गई है, जिसमें इस तरह की देरी के लिए किसी भी कारण का खुलासा नहीं किया गया है, बहुत कम प्रशंसनीय स्पष्टीकरण है।इसलिए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने रिट याचिका दायर करने में देरी और अड़चनों के आधार सहित अपीलार्थियों पर मुकदमा नहीं चलाने को उचित ठहराया।यह निष्कर्ष अप्रत्याशित है।यह आग्रह किया जाता है कि कब्जे पंचनामा दिनांक 20.3.1986 के माध्यम से कब्जा करने से पहले, नोटिस

डी.

ई.

एफ.

जी.

14 (2008) 5 एस. सी. सी. 449 (पैरा 27 और 29) 15 (2001) 10 एस. सी. सी. 525 (पैरा 3 और 4)

एच.

1976 के अधिनियम की धारा 10 (5) के तहत भूमि मालिकों को विधिवत जारी किया गया था। पहला नोटिस 17.12.1985 पर अंबालाल परसोत्तमभाई पटेल, भीखाभाई मगनभाई पटेल, नटवरभाई भाईलालभाई पटेल और जयंतीभाई बाबरभाई पटेल को जारी किया गया था। यह विधिवत सेवा की गई थी।दूसरा नोटिस अंबालाल परसोत्तमभाई पटेल, भीखाभाई मगनभाई पटेल, नटवरभाई भाईलालभाई पटेल और जयंतीभाई बाबरभाई पटेल को भी जारी किया गया था।अंबालाल परसोत्तमभाई पटेल को भेजा गया दूसरा नोटिस समर्थन के साथ लौटा "कहा कि मालिक की अवधि समाप्त हो गई है"।हालांकि, अन्य नोटिसों-भीखाभाई मगनभाई पटेल, नटवरभाई भाईलालभाई पटेल और जयंतीभाई बाबरभाई को विधिवत दूसरा नोटिस दिया गया था और उनकी स्वीकृति को रिकॉर्ड में पेश किया गया है।उन नोटिसों के बावजूद, संबंधित अपीलार्थियों निर्दिष्ट तिथि पर कब्जा सौंपने के लिए उपस्थित रहने में विफल रहे।इसलिए, 30 दिनों की अवधि के इंतजार के बाद, प्राधिकरण ने कब्जा पंचनामा के माध्यम से 20.3.1986 पर जबरन कब्जा करने के लिए आगे बढ़े।यह कानून में अनुमत है और अतिरिक्त/अधिशेष भूमि के अधिग्रहण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्राधिकरण के लिए एकमात्र रास्ता खुला था।यह आग्रह किया जाता है कि किसी भी अपीलार्थियों ने उक्त नोटिस या 1986 के अधिकार पंचनामे को चुनौती नहीं दी।इसके अलावा, अपीलार्थियों ने अन्य कार्यवाहियों के संबंध में घोषणा की और राहत के लिए नहीं कहा है, जो अंतिम हो गए हैं या उस मामले के लिए कि निरसन अधिनियम के संदर्भ में पूरी कार्यवाही समाप्त हो गई है, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि ऐसी याचिका उनके लिए उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि उन्होंने 20.3.1986 पर अधिशेष/अतिरिक्त भूमि का कब्जा खो दिया है।

बी.

सी.

डी.

ई.

12. प्रत्यर्थी ने असम राज्य बनाम असम राज्य पर निर्भरता रखी है।

भास्कर ज्योति सरमा और अन्य। **16** और लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड बनाम।

गुजरात राज्य और अन्य। 17.प्रत्यर्थी के अनुसार, 1976 के अधिनियम की धारा 21 के तहत आवेदन की लंबितता 1976 के अधिनियम की धारा 10 (3) से आगे बढ़ने के लिए कोई बाधा नहीं है, जैसा कि अपीलार्थियों द्वारा तर्क दिया गया है।यह कानूनी स्थिति अब एकीकृत नहीं है और वास्तव में, इस न्यायालय द्वारा दारोथी क्लेयर परेरा (ऊपर) में स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया है।इसके अलावा, धारा 21 के तहत आवेदन की लंबितता को निरसन अधिनियम द्वारा सहेजा नहीं जाता है, क्योंकि उन कार्यवाहियों में, मालिकों का दावा अधिकार प्राप्त करने के लिए होता है न कि अर्जित अधिकार के प्रवर्तन के लिए।रिलायंस को रखा गया है

एफ.

जी.

गुजरात राज्य और ए**.** एन**.** आर बनामज्ञानबा दिलावरसिंह जडेजा **18** और मधुसूदन भानुप्रसाद पांड्या बनाम गुजरात राज्य और अन्य। **19.**

16 (2015) 5 एस. सी. सी. 321 (पैरा 13 से 17) 17 (1998) 4 एस. सी. सी. 387 (पैरा 14 से 16)
18 (2013) 11 एस. सी. सी. 486 (पैरा 13)

एच.

19 (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1050 (अनुच्छेद 14 और 16)

कपिलाबेन अंबालाल पटेल और ओआरएस. बनाम.गुजरात राज्य और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

ए.

13. यह आग्रह किया जाता है कि राज्य के अधिकारियों ने पहले ही भूमि पर कब्जा कर लिया है जैसा कि कब्जा पंचनामा और राजस्व रिकॉर्ड से भी स्पष्ट है, क्योंकि राज्य का नाम सर्वेक्षण संख्या 362, अंतिम भूखंड संख्या 280 पर दर्ज किया गया है और अन्य अधिशेष भूमि के लिए 15.2.2000 पर मामलातदार, बड़ौदा शहर को किए गए अनुरोध के अनुसार दिनांक 11.4.1986 संचार के माध्यम से दर्ज किया गया है।यह आवेदन निरसन अधिनियम के लागू होने से बहुत पहले किया गया था। दूसरे शब्दों में, 1.2.1985 पर अंतिम बयान जारी होने के तुरंत बाद, धारा 10 (1) के तहत 8.3.1985/21.3.1985 पर और धारा 10 (3) के तहत, 25.7.1985 पर नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद 1976 के अधिनियम की धारा 10 (5) के तहत अधिसूचना/नोटिस जारी किया गया था।इसके तुरंत बाद, बड़ौदा शहर के मामलातदार को 11.4.1986 पर राजस्व रिकॉर्ड में राज्य का नाम दर्ज करने का अनुरोध भेजा गया।इसके अनुसार, राज्य के नाम की प्रविष्टि नियत समय में राजस्व रिकॉर्ड में की गई थी।इसके अलावा, कब्ज़ा किए जाने के तथ्य को सितंबर, 1998 में समीक्षा कार्यवाही में भी

नोट किया गया था और इसके बावजूद, विषय रिट याचिका 2001 में ही कब्ज़ा पंचनामा दिनांक 20.3.1986 पर हमला करने के लिए दायर की गई थी।इसलिए, प्रत्यर्थी द्वारा यह आग्रह किया जाता है कि अपील को खारिज कर दिया जाए और डिवीजन बेंच के फैसले को केवल इसी आधार पर बरकरार रखा जाना चाहिए।

बी.

सी.

डी.

14. हमने अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान और प्रत्यर्थी की विद्वान अधिवक्ता सुश्री दीपानविता प्रियंका को सुना है।

ई.

15. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों और प्रासंगिक रिकॉर्ड पर विचार करने के बाद, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थियों ने सभी संभावित दलीलों का सहारा लिया है।सबसे पहले, 1976 के अधिनियम की धारा 20 के तहत छूट के लिए आवेदन दायर किया गया था, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा 6.3.1980 पर अनुमति दी गई थी, लेकिन अपीलार्थियों ने इसे वापस लेने का फैसला किया। उस अनुरोध को अंततः सक्षम प्राधिकारी द्वारा 1.2.1985 पर मंजूरी दे दी गई।अपीलार्थियों ने तब तक प्रतीक्षा की जब तक कि 1976 के अधिनियम की धारा 10 (3) के तहत अधिसूचना 25.7.1985 पर जारी नहीं की गई और 22.8.1985 पर आवेदन दायर करके धारा 21 के तहत छूट के उपाय का विकल्प चुना।इसे 15.12.1986 पर खारिज कर दिया गया, जिसके फैसले के खिलाफ दो साल के अंतराल के बाद केवल देवीकाबेन चंदुभाई भाईलालभाई ने अपने तीन भाई-बहनों के साथ एक समीक्षा आवेदन दायर किया था।फिर भी, संबंधित प्राधिकारी द्वारा उसी पर विचार किया गया और अपील में पूरे आदेश को रद्द करने के बाद, 19.9.1998 पर रिमांड आदेश पारित किया गया।समीक्षा में भी

एफ.

जी.

एच.

कार्यवाहियों में, इस तथ्य को दोहराया गया कि राज्य के अधिकारियों ने अधिकार पंचनामा के माध्यम से अधिशेष/अतिरिक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया है, जैसा कि दिनांकित आदेश से देखा जा सकता है।यह स्पष्ट नहीं है कि अपीलार्थियों ने कम से कम प्रत्यर्थी द्वारा लिए गए इस तरह के स्पष्ट रुख से संकेत क्यों नहीं लिया और राज्य के कथित रुख (20.3.1986 पर जबरन कब्जा करने के) पर हमला करने के लिए तुरंत आगे क्यों नहीं बढ़े।कब्जा लेने के अलावा, प्रत्यर्थी ने मुआवजे का निर्धारण किया था जिसके लिए धारा 11 के तहत अपीलार्थियों को 17.5.1986 पर नोटिस जारी किया गया था।यह अपीलार्थियों का मामला नहीं है कि वे 2001 तक उस विकास के बारे में भी अनजान थे।वर्ष 2001 में दायर रिट याचिका में अपीलार्थियों द्वारा ऐसी कोई याचिका नहीं ली गई है।सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांकित 19.5.1999 आदेश के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार करने के बाद ही उन्होंने 30.3.1999 पर लागू होने वाले निरसन अधिनियम का लाभ उठाते हुए ट्रैक को बदलने के बारे में सोचा।हालाँकि, उन्होंने स्वर्गीय अंबालाल परसोत्तमभाई पटेल के पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के रूप में केवल कमलेशभाई पारेख के नाम पर रिट याचिका दायर करने का फैसला किया, जो एस. सी. ए. नंबर 8402/1999 था, इस बात का बहुत कम एहसास था कि अंबालाल परसोत्तमभाई पटेल द्वारा दिया गया अधिकार उनकी मृत्यु के बाद 31.12.1985 पर ही समाप्त हो गया था।इसमें कोई संदेह नहीं है कि विद्वान एकल न्यायाधीश को उस पूरी कार्यवाही को रद्द करने के लिए राजी विद्वान गया था, जो अधिशेष/अतिरिक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने के साथ समाप्त हुई थी।हालाँकि, यह केवल तब हुआ जब अन्य अपीलार्थियों ने महसूस विद्वान कि एस. सी. ए. सं. 8402/1999 में विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय त्रुटिपूर्ण था और राज्य सरकार द्वारा एल. पी. ए. सं. 460/2002 के माध्यम से उस गिनती पर उचित रूप से हमला विद्वान गया है, उन्होंने वर्तमान रिट याचिका (एस. सी. ए. सं. 12602/2001) दायर करने का फैसला विद्वान ।हालाँकि, उक्त रिट याचिका में, इस बात का कोई खुलासा नहीं किया गया है कि इन अपीलार्थियों ने पहले के समय में कब्जा पंचनामा दिनांक 20.3.1986 पर हमला क्यों नहीं किया, जिसमें यह भी शामिल है कि जब इस दस्तावेज़ के अस्तित्व का विशेष रूप से प्रतिवादी-राज्य द्वारा अनुरोध किया गया था, विशेष रूप से, समीक्षा आवेदन में।रिट याचिका में, देरी और बाधाओं के संबंध में किए गए एकमात्र दावे को पैराग्राफ 5 से देखा जा सकता है, जो इस प्रकार हैः-

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

"5. याचिकाकर्ताओं ने इस माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है

कोई देरी या अड़चनें।याचिकाकर्ताओं का मानना था कि इस मामले की देखरेख स्वर्गीय अंबालाल पुरुषोत्तमदास पटेल के गठित वकील द्वारा की जा रही थी और इसलिए उनके लिए इस मामले में इस माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाना आवश्यक नहीं था।याचिकाकर्ता ए हैं

एच.

1135

कपिलाबेन अंबालाल पटेल और ओआरएस. बनाम.गुजरात राज्य और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

कानून की पेचीदगियों से अनजान किसानों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि अंबालाल पुरुषोत्तमदास पटेल की मृत्यु पर उनके गठित वकील कमलेश पारेख का अधिकार समाप्त हो गया था।यद्यपि कमलेशभाई पारेख ने याचिकाकर्ताओं को उक्त लेटर्स पेटेंट अपील में अपीलार्थियों की ओर से उठाई जाने वाली आपत्तियों के बारे में सूचित किया है, लेकिन उन्होंने याचिकाकर्ताओं को यह भी सूचित किया है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि वे अंबालाल पुरुषोत्तमदास पटेल द्वारा उनकी मृत्यु के बाद दिए गए पावर ऑफ अटॉर्नी पर भरोसा नहीं कर सकते थे और वास्तव में उन्होंने याचिकाकर्ताओं को अजीब स्थिति में डालने के लिए खेद व्यक्त किया है।याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन परिस्थितियों में 1999 के विशेष सिविल आवेदन संख्या 8402 के अभियोजन में लगे समय और प्रत्यर्थियों द्वारा उक्त सिविल आवेदन और लेटर्स पेटेंट अपील को याचिकाकर्ताओं द्वारा इस तक पहुंचने में लगे समय पर विचार करने से बाहर रखा जाए।

बी.

सी.

इस मामले में माननीय न्यायालय।याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे मामले की परिस्थितियों की अनुमति के अनुसार जल्द से जल्द इस माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने आगे कहा कि इस माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में याचिकाकर्ताओं की ओर से देरी, यदि कोई हो, किसी भी तरह से प्रतिवादियों के लिए कोई पूर्वाग्रह या नुकसान नहीं है।याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह माननीय न्यायालय याचिका पर विचार करने के लिए प्रसन्न है और इसे देरी, सहमति या बाधाओं के आधार पर अस्वीकार नहीं करेगा।"

डी.

ई.

(जोर दिया गया) रिट याचिका का पहला भाग तथ्यात्मक पृष्ठभूमि और इस दावे से संबंधित है कि अपीलार्थियों अभी भी बताई गई भूमि के भौतिक कब्जे में हैं और इसका उपयोग कृषि उद्देश्य के लिए कर रहे थे, जैसा कि राजस्व रिकॉर्ड से देखा जा सकता है।वास्तव में, राजस्व अभिलेख का अनुमानित मूल्य हो सकता है, लेकिन इसका खंडन किया जा सकता है, जो इस मामले में प्रत्यर्थी-राज्य द्वारा कब्जा पंचनामा और बाद की कार्यवाही पर भरोसा करके किया गया है, जिसमें राजस्व अभिलेखों में राज्य सरकार का नाम दर्ज करने के लिए सही अर्थ में मामलातदार, बड़ौदा शहर को प्रस्तुत आवेदन, दिनांक 11.4.1986, और जिसके अनुसार प्रविष्टियां क्रमशः 26.9.1989 और 15.2.2000 पर प्रभावित की गई थीं।

एफ.

जी.

16. जाहिर है, इसलिए, अपीलार्थियों ने अंतिम रूप प्राप्त करने वाली पिछली कार्यवाहियों के संबंध में घोषणा की कोई और राहत मांगे बिना कब्जा पंचनामा पर हमला करने के अंतिम प्रयास के बारे में सोचा।

एच.

17. इसलिए, डिवीजन बेंच ने हमारी राय में यह निष्कर्ष निकालना सही था कि 14 साल के अंतराल के बाद अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट याचिका को देरी से निराशाजनक रूप से रोक दिया गया था और इसमें देरी हुई थी।हम वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों में उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए उक्त दृष्टिकोण से सहमत हैं।

18. आश्चर्यजनक रूप से, विशेष अनुमति द्वारा इस अपील में, खंड पीठ के उक्त निष्कर्ष को चुनौती देने के लिए एक अस्पष्ट आधार उठाया गया है।इसके अलावा, उस संबंध में विशेष अनुमति द्वारा अपील में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार नहीं किया गया है।इसके अलावा, इस आधार पर जो दावा किया जाता है वह यह है कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि रिट याचिका दायर करने में 14 साल की देरी हुई थी और यह स्वीकार नहीं किया कि 1976 के अधिनियम की धारा 10 (5) के तहत नोटिस, दिनांक 23.1.1986, अंबालाल परसोत्तमभाई पटेल को नहीं दिया गया था क्योंकि वह पहले ही 31.12.1985 पर समाप्त हो चुके थे और उन्हें भेजा गया नोटिस 2.2.1986 पर वापस कर दिया गया था, जिसमें टिप्पणी की गई थी कि "कहा गया है कि मालिक की अवधि समाप्त हो गई है"।इसके अलावा, अंबालाल परसोत्तमभाई पटेल के कानूनी उत्तराधिकारियों को उक्त नोटिस दिया जाना चाहिए

था।अब तक बताए गए तथ्यात्मक मैट्रिक्स से, हमारी राय में, ये आधार अपीलार्थियों के लिए कोई उपयोगी नहीं हैं।प्रतिवादी-राज्य द्वारा प्रस्तुत स्वीकृति से यह स्पष्ट है कि अंबालाल परसोत्तमभाई पटेल को धारा 10 (5) के तहत जारी किया गया पहला नोटिस विधिवत 26.12.1985 पर दिया गया था।जब तक 23.1.1986 पर धारा 10 (5) के तहत दूसरा नोटिस जारी किया गया, तब तक अंबालाल परसोत्तमभाई पटेल की मृत्यु हो चुकी थी (31.12.1985 पर)।दूसरा नोटिस भीखाभाई मगनभाई पटेल, नटवरभाई भाईलालभाई पटेल और जयंतीभाई बाबरभाई पटेल को भी जारी किया गया था।चाहे जो भी हो, हम उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दर्ज किए गए इस निष्कर्ष को उलटने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट याचिका में निराशाजनक रूप से देरी हुई थी और इसमें देरी हुई थी।वर्तमान मामले के तथ्यों में यह एक संभावित दृष्टिकोण है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

19. प्रत्यर्थियों ने अतिरिक्त रूप से लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया था, जिसमें न्यायालय ने कहा था -

बलवंत नारायण भागड़े बनाम एम**.** डी**.** भागवत और ओआरएस। **20,** बालमोकंद खत्री एजुकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रस्ट बनाम पंजाब राज्य **21** और तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड बनाम ए**.** विश्वम **(**मृत**)**

जी.

एलआर द्वारा। **22** उस तय कानूनी स्थिति के बारे में जिसे लेना मुश्किल है

20 (1976) 1 एस. सी. सी. 700 (पैरा 28) 21 (1996) 4 एस. सी. सी. 212 (पैरा 4) 22 (1996) 8 एस. सी. सी. 259 (पैरा 9)

एच.

ए.

अनिवार्य अधिग्रहण के तहत भूमि का भौतिक कब्जा।इसके अलावा, कब्जा लेने का सामान्य तरीका पंचों की उपस्थिति में पंचनामा का मसौदा तैयार करना और कब्जा लेना और लाभार्थियों को वितरण करना भूमि पर कब्जा करने का स्वीकृत तरीका है।इसके बाद, कब्जे को बनाए रखना केवल अवैध या गैरकानूनी कब्जे के समान होगा।रिलायंस को भास्कर ज्योति सरमा (ऊपर) के पैराग्राफ 14 से 16 पर भी रखा गया है।हालाँकि, हमारे लिए इन पहलुओं पर विस्तार करना आवश्यक नहीं है क्योंकि हम उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष से सहमत हैं कि अपीलार्थियों द्वारा वर्ष 2001 में दायर रिट याचिका में दिनांक 1 के अधिकार पंचनामा पर सवाल उठाने के लिए सीमित राहत दी गई थी।उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले के इस महत्वपूर्ण पहलू को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है और हमें उस निष्कर्ष से हटने का कोई कारण नहीं मिलता है।

बी.

सी.

20. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम अपीलार्थियों या प्रत्यर्थी-राज्य द्वारा गुण-दोष पर उठाए गए अन्य तर्कों पर विस्तार करें।

डी.

21. इस प्रकार कहने के बाद, यह इस बात का पालन करना चाहिए कि वर्तमान अपील गुण-दोष से रहित है और उच्च न्यायालय की खंड पीठ के विवादित निर्णय को इस आधार पर बरकरार रखा जाना चाहिए कि रिट याचिका पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

ई.

22. तदनुसार, यह अपील विफल होनी चाहिए।लागत के बारे में कोई आदेश दिए बिना इसे खारिज कर दिया जाता है।लंबित अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

दिव्या पांडे

याचिका खारिज कर दी गई।

एफ.

जी.

एच.